संख्या:13/2016/2045/पैंतीस-2-2016

प्रेषक,

पी0एन0त्रिपाठी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आर्थिक बोध एवं संख्या निदेशक,
उ0प्र0, लखनऊ।

नियोजन अनुभाग-2 **लखनऊः दिनांक 09 दिसम्बर,2016**

विषय- **निष्प्रयोज्य वाहन के स्थान पर नये वाहन का प्रतिस्थापन किये जाने के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्याः 1155/ले0-20/2016, दिनांक 22.09.2016 एवं पत्र संख्या- 1224/ले0-20/2016, दिनांक 26.10.2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा कार्यालय अर्थ एवं संख्याधिकारी, वाराणसी के निष्प्रयोज्य वाहन संख्या- यू0एच0जेड0/4080 के स्थान पर नये वाहन माडल - मारूति सियाज वीएक्सआई प्लस क्रय किये जाने की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त वाहन के निष्प्रयोज्य घोषित किये जाने के फलस्वरूप आपसे प्राप्त प्रस्ताव पर विचारोपरान्त एक नया वाहन माडल- मारूति सियाज वीएक्सआई प्लस जिसका डी0जी0एस एण्ड डी0 रेट प्रतिवाहन लागत रू0 7,60,569/- (रू0 सात लाख साठ हजार पांच सौ उनहत्तर मात्र) के क्रय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रदान करते है :-

(1) यह सुनिश्चित किया जाय कि निष्प्रयोज्य घोषित कर नीलाम किया गया उक्त वाहन सरकारी वाहन ही था तथा वाहन के प्रतिस्थापन में द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।
(2) उक्त वाहन का क्रय निर्धारित क्रय प्रक्रिया एवं सुसंगत वित्तीय नियमों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए वाहन का क्रय स्वीकृत धनराशि के अन्तर्गत ही किया जायेगा।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-40 के लेखाशीर्षक 3454-जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी-02-सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी-आयोजनेत्तर-001-निदेशन तथा प्रशासन-03- अर्थ एवं संख्या निदेशालय के अन्तर्गत मानक मद-14- मोटर गाड़ियों का क्रय के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्याः ई-5-1223/दस-2016, दिनांक 07 दिसम्बर, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(पी0एन0 त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या:13/2016/2045(1)/पैतीस-2-2016-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम व द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम व द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. वरिष्ठ आडिट आफीसर (आडीटर प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार लेखा परीक्षा, सत्य निष्ठा भवन, 15 थार्नहिल रोड, इलाहाबाद।
4. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
5. वित्त (लेखा) अनुभाग-1
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त केन्द्रीय सहायता अनुभाग।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(पी0एन0 त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।